भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3998
सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक)

ईएसआई योजना के लाभार्थी

3998. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ख) ईएसआई योजना के अंतर्गत देश के सभी जिलों को शामिल करने के बाद लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का 10 से कम कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): ईएसआई अधिनियम, 1948 के अंतर्गत बनाई गई कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना उन सभी दस या अधिक कर्मचारियों वाले कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होती है जिनका वेतन 21,000 रुपये (निःशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपये) तक है। अतः यह अधिनियम असंगठित क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। दिनांक 31 मार्च, 2025 तक ईएसआई योजना के अंतर्गत कवर्ड लाभार्थियों की संख्या 14,75,99,701 (अनंतिम) है।

सरकार ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 को अधिनियमित किया है, जिसका लक्ष्य संगठित या असंगठित या किसी अन्य क्षेत्र में कार्यरत सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करना है।

*****